

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व शिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजन

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जन-1
आवासीय

आवेदन क्रमांक-522, दिनांक-21/04/2019
प्रार्थी श्रीमती स्मरिता तिवारी मुशली मनीहर जीश
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No-96-चं
द्वारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय जागीर
भवन निर्माण हेतु मायबिन्न कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये RS: 14212/- जमा की
जरिये रसीद संख्या 2669/3669, 2610
दिनांक 21/04/2019 को जमा करा दी है ।

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

01/5/19
8769613537